भारत सरकार **लोक सभा**
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 3865**
वाणिज्य विभाग

दिनांक 11 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

निर्यात अवसरों में एमएसएमई

3865. श्री सुरेश कुमार शेटकर:

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विदेश व्यापार समझौतों के अंतर्गत सृजित निर्यात अवसरों में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की भागीदारी के संबंध में कोई आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ख) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए तंत्र स्थापित किए हैं कि भारतीय निर्यातकों द्वारा विदेश व्यापार समझौतों के अंतर्गत प्रशुल्क रियायतों का पूर्ण उपयोग किया जा सके और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ग) क्या सरकार ने उन चुनौतियों की समीक्षा की है जिनके कारण भारतीय कंपनियाँ विदेश व्यापार समझौतों के अंतर्गत उपलब्ध लाभों का पूर्ण उपयोग नहीं कर पा रही हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(घ) क्या सरकार विदेश व्यापार समझौतों का लाभ उठाने के लिए भारतीय निर्यातकों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(ङ) क्या सरकार ने भागीदार देशों के साथ भारत के व्यापार शेष पर विदेश व्यापार समझौतों के प्रभाव का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (घ) मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) ऐसे आर्थिक साधन हैं जिनका उद्देश्य व्यापार को बढ़ाना, प्रतिस्पर्धात्मकता को बेहतर बनाना और आर्थिक एकीकरण को सुदृढ़ करना है। घरेलु उद्योग के हितों की रक्षा के लिए एफटीए लागू होने के समय (ईआईएफ) टैरिफ उन्मूलन, चरणबद्ध टैरिफ कटौती या उन्मूलन और अपवर्जन सूचियों के माध्यम से संतुलित बाजार पहुंच प्रदान करते हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) प्रधान क्षेत्रों के लिए बाजार पहुंच में वस्त्र और परिधान, चमड़ा और फुटवेयर, इंजीनियरिंग सामान, खाद्य प्रसंस्करण, रत्न और आभूषण, रसायन और अन्य विनिर्माण क्षेत्र शामिल हैं।

एफटीए के प्रभाव का आकलन लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। नई एफटीए वार्ताएं शुरु करने से पहले, सरकार यह सुनिश्चित करती है कि वार्ताओं के सभी चरणों में एमएसएमई सहित क्षेत्र-विशिष्ट हितधारकों के साथ वार्ताएं की जाएं। एफटीए पर व्यापक, संतुलित, निष्पक्ष और पारस्परिक रूप से लाभकारी परिणाम प्राप्त करने के प्रयास में वार्ता की जाती है। यह व्यापारिक साझेदार देशों में भारतीय निर्यातकों के लिए एक अधिमान्य, स्थिर और पूर्वानुमानित व्यापार इकोसिस्टम को भी सक्षम बनाता है। इस संरचित दृष्टिकोण के अतिरिक्त, कार्यान्वयन के बाद, सरकार व्यापार संवर्धन, व्यापार सुविधा प्रदान करने और किसी भी चुनौती का समाधान करने के माध्यम से एफटीए के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए सभी हितधारकों के साथ निरंतर जुड़ी रहती है।

सरकार द्वारा हाल ही में हस्ताक्षरित मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) में एमएसएमई के लिए प्रावधान शामिल हैं ताकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उनकी अधिक भागीदारी को सुगम बनाया जा सके। ये प्रावधान सूचना साझाकरण, क्षमता निर्माण, निर्यात सहायता, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच में सुधार, एमएसएमई को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एकीकृत करने को बढ़ावा देने और एफटीए से लाभ प्राप्त करने की उनकी क्षमता को प्रभावित करने वाले मुद्दों का समाधान करने जैसे क्षेत्रों में सहयोग प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए, भारत-यूएई व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (सीईपीए) और भारत-यूके व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता में एमएसएमई पर अध्याय शामिल हैं।

सरकार ने विदेशी व्यापार समझौतों (एफटीए) के तहत मिलने वाली टैरिफ रियायतों का पूरा लाभ उठाने में मदद करने के लिए भारतीय निर्यातकों विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई), स्टार्टअप्स, कारीगरों और अन्य छोटे निर्यातकों के लिए विभिन्न नीतिगत और सुविधा प्रदान करने वाले उपाय किए हैं। सरकार मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) के लाभों के उपयोग के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए उद्योग संघों, निर्यात संवर्धन परिषदों (ईपीसी), आईआईएफटी जैसे अकादमिक संस्थानों और अन्य हितधारकों के साथ सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। सरकार एफटीए के तहत मिलने वाले अवसरों का प्रसार करने के लिए विदेशों में भारतीय मिशनों, निर्यात संवर्धन परिषदों, व्यापार संघों, संबंधित मंत्रालयों या विभागों और राज्यों सहित संबंधित हितधारकों के साथ नियमित रूप से एफटीए पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करती है, जिनमें क्षेत्र-विशिष्ट सत्र, एमएसएमई क्लस्टर कार्यक्रम आदि शामिल हैं। इन पहलों में प्रसार और सहयोग के प्रमुख पहलू शामिल हैं, जैसे कि क्षेत्रों/वस्तुओं में बाजार पहुंच और टैरिफ रियायतें, मूल नियम, प्रमाणन प्रक्रियाएं और अनुपालन आवश्यकताएं, और जहां भी प्रासंगिक हो, उद्योग निकायों और वैश्विक भागीदारों के समन्वय से संचालित किए जाते हैं। प्रमुख पहलों में शामिल हैं:

(i) निर्यात संवर्धन मिशन (ईपीएम): भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करने के लिए वर्ष 2025 में निर्यात संवर्धन मिशन (ईपीएम) शुरू किया गया था, जिसके लिए वित्त वर्ष 2025-26 से वित्त वर्ष 2030-31 की अवधि के लिए कुल 25,060 करोड़ रुपये का परिव्यय आवंटित किया गया है। ईपीएम दो एकीकृत उप-योजनाओं के माध्यम से संचालित होगा:

- निर्यात प्रोत्साहन जो ब्याज सब्सिडी, निर्यात फैक्टरिंग, निर्यात ऋण के लिए संपार्श्विक गारंटी, ई-कॉमर्स निर्यातकों के लिए ऋण गारंटी और ऋण संवर्धन सहायता जैसे साधनों के माध्यम से व्यापार वित्त तक पहुंच में सुधार पर केंद्रित है; और

- निर्यात दिशा जो निर्यात गुणवत्ता और अनुपालन सहायता, अंतरराष्ट्रीय ब्रांडिंग और पैकेजिंग, बाजार पहुंच पहल, निर्यात लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग, तथा व्यापार आसूचना जैसे अन्य व्यापार सहायकों पर केंद्रित है।

(ii) ई-कॉमर्स निर्यात के लिए एक एकीकृत इकोसिस्टम बनाने हेतु लॉजिस्टिक्स, सीमा शुल्क निकासी और अन्य निर्यात-संबंधी सेवाओं को सुगम बनाकर पायलट आधार पर ई-कॉमर्स निर्यात केंद्र (ईसीईएच) पहल का कार्यान्वयन।

(iii) जिला निर्यात केंद्र (डीईएच) पहल विकेंद्रीकृत निर्यात संवर्धन के लिए जिला-स्तरीय फ्रेमवर्क प्रदान करती है। प्रत्येक जिले में, लक्षित कार्यकलापों के लिए व्यवहार्य निर्यात क्षमता वाले 3-5 उत्पादों/सेवाओं की पहचान और प्राथमिकता निर्धारित करने का प्रयास किया जाता है।

(iv) कूरियर माध्यम से निर्यात को सरल बनाने और अनुपालन के बोझ को कम करने के लिए सुधार:

- भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 10 लाख रुपये तक के छोटे-मूल्य के निर्यातों के लिए निर्यात समाधान आवश्यकताओं में रियायत दी है, जिसके तहत निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत घोषणाओं और बैंकों द्वारा किए गए समाधान के आधार पर निर्यात डेटा प्रसंस्करण और निगरानी प्रणाली (ईडीपीएमएस) में निर्यात लेन-देन को बंद करने की अनुमति दी गई है।

- दिनांक 27 मार्च, 2026 की डीजीएफटी अधिसूचना संख्या 67/2025-26 और दिनांक 31 मार्च, 2026 की सीबीआईसी अधिसूचना संख्या 34/2026 द्वारा कूरियर के माध्यम से निर्यात के लिए प्रति खेप 10 लाख रुपये की मूल्य सीमा को हटा दिया गया है।

- दिनांक 31 मार्च, 2026 की सीबीआईसी अधिसूचना संख्या 33/2026 ने सीमा-पार ई-कॉमर्स निर्यात के संबंध में निर्यात अस्वीकृत वस्तुओं और लौटाए गए माल के पुनः आयात को सुविधाजनक बनाकर रिवर्स लॉजिस्टिक्स को सरल बना दिया है।

(v) पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी) को बहुआयामी अवसंरचना की एकीकृत योजना से संबंधित डेटा-आधारित निर्णयों को सुविधाजनक बनाने और लॉजिस्टिक्स लागत कम करने के लिए शुरू किया गया था।

(vi) निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट (आरओडीटीईपी) योजना का उद्देश्य निर्यात उत्पाद पर वर्तमान में अप्रतिदेय शुल्क/कर/लेवी की वापसी करना है, जो अभी तक वापिस नहीं की गई है जिसमें निर्यातित उत्पादों के उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले माल और सेवाओं पर पूर्व चरण के संचयी अप्रत्यक्ष कर शामिल हैं।

(vii) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय ने देश भर में अपने क्षेत्रीय कार्यालयों में 65 निर्यात सुविधा केंद्र (ईएफसी) स्थापित किए हैं, जिनका उद्देश्य एमएसएमई को उनके उत्पादों और सेवाओं के निर्यात में आवश्यक मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करना है।

(viii) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय की अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (आईसी) योजना का उद्देश्य विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों/मेलों/सम्मेलनों/संगोष्ठी/क्रेता-विक्रेता बैठकों में भागीदारी को सुविधाजनक बनाकर और विभिन्न लागतों की प्रतिपूर्ति करके एमएसएमई की क्षमता का निर्माण करना है।

(ङ) मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) के संचालन ने प्रमुख भागीदार देशों के साथ भारत के व्यापारिक संबंधों को मजबूत किया है। भू-राजनीतिक तनाव और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान सहित निरंतर वैश्विक चुनौतियों के बावजूद, भारत का निर्यात वित्त वर्ष 2022-23 में 776.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 2025-26 में 863.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। प्रमुख एफटीए भागीदार देशों और व्यापार समूहों को पण्यवस्तु निर्यात वित्त वर्ष 2025-26 में 179.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जो भारत के कुल पण्यवस्तु निर्यात का 40.5% है। हाल ही में शामिल हुए एफटीए भागीदारों को पण्यवस्तु निर्यात में भी उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। उदाहरण के लिए, यूएई को निर्यात वित्त वर्ष 2021-22 (सीईपीए कार्यान्वित होने से पहले) में 16.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 2025-26 में 37.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जबकि ईसीटीए कार्यान्वित होने के बाद, ऑस्ट्रेलिया को निर्यात वित्त वर्ष 2021-22 में 4.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 2025-26 में 7.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। इसी प्रकार, ईएफटीए देशों को निर्यात वित्त वर्ष 2019-20 में 1.64 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 2025-26 में 1.76 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।

इसके अतिरिक्त, व्यापार प्रवृतियाँ, जिसमें निर्यात और आयात शामिल हैं, वैश्विक और घरेलू कारकों से निरंतर प्रभावित होती हैं, जिसमें आर्थिक विकास, भू-राजनीतिक विकास, उद्योग की मांग, घरेलू जरूरतें, वस्तुओं की कीमतों में उतार-चढ़ाव और विकसित होती आपूर्ति श्रृंखलाएं शामिल हैं।

निर्यात, आयात, व्यापार संतुलन का देश-वार विवरण https://tradestat.commerce.gov.in/eidb/ पर उपलब्ध है।
